राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 72/2005

श्रीमती सीरे कंवर पत्नी स्व. श्री प्रयाग सिंह —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं निदेषक, वन विभाग,राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वन रोपण एवं चारागाह विकास विभाग, जैसलमेर।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, मरूस्थल वन रोपण एवं चारागाह विकास विभाग, जैसलमेर।
5. उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद पुरोहित, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेष

यह अपील मूलरूप से प्रयाग सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस अपील के विचारण की अवधि के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती सीरे कंवर को अपीलार्थी के रूप मे पक्षकार बनाया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि मूल अपीलार्थी प्रयाग सिंह की प्रथम नियुक्ति कार्यप्रभारित बेलदार के रूप में दिनांक 01.01.1986 को हुई थी। अपीलार्थी द्वारा 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.04.1988 से अर्द्धस्थाई घोषित किया गया और नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन दिए जाने के आदेष दिए किए। अपीलार्थी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.1998 को प्राप्त कर ली। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति पर पेंषन व अन्य सेवानैवृत्तिक परिलाभ प्रदान नहीं किए गए है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.04.1988 एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 02.04.1998 है। जोकि कुल सेवा अवधि 10 वर्ष 01 माह 28 दिन होती है अर्थात् 10 वर्ष 01 माह 28 दिन के सेवा काल में से अपीलार्थी ने 246 दिन का अवैतनिक अवकाष का उपभोग किया है। राजस्थान सिविल सेवा पेंषन नियम 1996 के नियम 50(1) के अनुसार

सेवाकाल पेंशन योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की कुल सेवावधि अवैतनिक अवकाश कम किए जाने पर 9 वर्ष 6 माह व 22 दिन होती है, जो पेंशन योग्य नहीं है।

दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर हमने विचार किया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह रहा कि अपीलार्थी की सेवा की गणना उसे प्रथम नियुक्ति की तिथि 01.01.1986 से की जानी चाहिए और दिनांक 01.01.1986 से गणना किए जाने पर उसको पेंषन योग्य 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होती है। इस आधार पर अपीलार्थी सेवानिवृत्ति परिलाभ पाने का अधिकारी होता है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एसबी सिविल रिट पिटिषन संख्या 2450/2002 सगत सिंह बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11. 2003 के फैसले की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कार्यप्रभारित बेलदार की सेवा उनकी नियुक्ति दिनांक 01.04.1986 से गणना कर सेवानिवृत्ति परिलाभ दिए जाने के आदेष दिए है। प्रत्यर्थी विभाग का यह तर्क रहा कि अपीलार्थी की 246 दिन की अवैतनिक अवकाश की अवधि गणना योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान राज्य सिविल सेवा पेंषन नियम 1966 के नियम संख्या 20 का अवलोकन किया जो निम्न प्रकार है :–

" Rule 20. Counting of periods spent on leave

(1) All leave during service for which leave salary is payable shall count as qualifying service.

(2) Extra ordinary leave i.e. leave without pay and allowances shall count as qualifying service only if taken in any of the circumstances mentioned below:

(i) on medical certificate granted by Authorized Medical Attendant;

(ii) for prosecuting higher scientific and technical studies;

(iii) due to the inability of the Govt. servant concerned to join or rejoin duty due to civil commotion or a natural calamity. "

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अवैतनिक अवकाष भी उपरोक्त प्रावधान में दी गई तीन परिस्थितियों के अनुसार गणना योग्य होता है। प्रत्यर्थी विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अवैतनिक अवकाश किस श्रेणी का अवकाश था एवं किस कारण गणना योग्य नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व अपीलार्थी के तर्कों के आधार पर एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए हम इस अपील का निस्तारण इस आधार पर करते है कि प्रत्यर्थी विभाग माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति परिलाभ दिए जाने के बारे में पुनः विचार करेगा और सेवानिवृत्ति परिलाभ देय होने के संबंध में

आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) पारित करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आख्यात्मक आदेश पारित करते समय अपीलार्थी के अवैतनिक अवकाश के संबंध में भी प्रत्यर्थी विभाग राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 20 के तहत् परीक्षण कर अवैतनिक अवकाश गणना योग्य होने के सम्बन्ध में आदेश पारित करे। यदि प्रत्यर्थी विभाग यह पाता है कि अपीलार्थी को सेवा निवृत्ति परिलाभ देय है, तो प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को सेवा निवृत्ति परिलाभ नियमानुसार ब्याज के साथ अदा करेगा। इस आदेश की पालना 4 माह में सुनिश्चित की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अन्नत भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)